

पत्रांक-श्रम क० सं०-56/2015

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 330000/- (तीन लाख तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/ पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक के पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एच.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का खीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3		4	5	6	8	9
1	स्व० दिलरंजन कुमार उर्फ पप्पु कुमार, श्री रामजी सिंह उर्फ रामानुज सिंह, सामान्य	श्रीमती पुनम कुमारी (पत्नी)	513/01.08. 2017	ग्रा०-हदसा, पो०-बदौना, था०+प्र०-हिसुआ, नवादा	268700010 0058544	पंजाब नेशनल बैंक, भदसेनी, PUNB0268700	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पशुपालन एवं कृषि संबंधी
2	स्व० महेश सिंह, स्व० किशुन सिंह, अ० पि० जाति	श्रीमती विद्या देवी(पत्नी)	774/03.11. 2017	ग्रा०-भरोसा, पो०-ओरैना, था०+प्र०+जि०-नवादा	338516734 6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेशन रोड, नवादा, CBIN0280044	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, असंगठित व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० सैफ अली खान, श्री अजिम उद्दीन खान, सामान्य	श्रीमती वहिदा खानुन(माता)	775/03.11. 2017	ग्रा०+पो०+प्र०-मेढकुरी, था०-मेसकौर, नवादा	727607000 44344	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बिजुबिगहा, मेसकौर, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, असंगठित व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० सुनील चौधरी, श्री विशुन चौधरी, अ० जाति	श्रीमती पंचोना देवी(पत्नी)	776/03.11. 2017	ग्रा०-परोरिया, पो०-मेढकुरी, था०+प्र०-मेसकौर, नवादा	727607000 04690	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बिजुबिगहा, मेसकौर, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, असंगठित व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 330000/-

(तीन लाख तीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-56/2015 के पृष्ठ-31/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-56/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित

करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-
(कामिनी कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-56/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह0/-
(कामिनी कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-56/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 330000/- (तीन लाख तीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
(कामिनी कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-56/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(कामिनी कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-56/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, नवादा को उनके पत्रांक 513 दिनांक 01.08.2017, 774, 775 एवं 776 दिनांक 03.11.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(कामिनी कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-56/2015-576

पटना, दिनांक :- 27-12-18

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(कामिनी कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।